कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.03.2025

विषयः-थाना सिन्धोरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना सिन्धोरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नहर पुलिया ग्राम चितौना के पास से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2025 धारा 69/352/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र मालिक राजभर, निवासी ग्राम फतेपुर कटौना, थाना सिंधोरा, जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह पीड़िता को पिछले 2 वर्षों से जानता है। दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी और वे मुंबई में साथ रहते हुए नौकरी कर रहे थे। बाद में अभियुक्त अपने गांव लौट आया और होली पर पीड़िता भी अपने घर आ गई। इसके बाद पीड़िता ने उससे शादी करने की बात कही, लेकिन अभियुक्त ने इनकार कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शिवा राजभर पुत्र मालिक राजभर,निवासी ग्राम फतेपुर कटौना, थाना सिंधोरा, जनपद वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0 सं0 45/2025 धारा 69/352/351(2) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी,थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
2.हे0का0 अनिल कुमार राय, थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
3.हे0का0 राकेश सरोज,थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।
4.का0 शिवशंकर सिंह चौहान,थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी